न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

(पिठासिन अधिकारी अमिलाल यादव आर.ए.एस.)

वाद सं. 20/2025

श्रीमती नूतन पत्नी श्री जयप्रकाश जैन आयु 58 वर्ष निवासनी ग्राम सडू बडी तहसील बीदासर जिला चूरू।

......................वादीनी................

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार बीदासर जिला चूरू राजस्थान
2. किशोर सिंह राठौड़ पुत्र जगमालसिंह राठौड निवासी ग्राम तेहनदेसर तहसील बीदासर जिला चूरू।
3. डूंगरनाथ पुत्र रामलाल नाथ सिद्व निवासी ग्राम आडसर तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर
4. भगतनाथ पुत्र रामलाल नाथ भारी सिद्व निवासी ग्राम आडसर तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।

..........................प्रतिवादीगण...................

–: निर्णय :– दिनांक 29-3-25

उपस्थिति– विद्वान अधिवक्ता अमरसिह राठौड एवं गोवर्धनसिह राठौड वादीनी की ओर से

प्रतिवादीगण सं. 02 ता 04 स्वयं उपस्थित

प्रतिवादी सं. 01 राजपेरोकार उपस्थित

<u>दावा घोषणात्मक एवं विभाजन</u>

दावे के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि खेत खसरा सं. 122/115 तादादी 1.5977 है0 भूमि वाके राही आईदानपुरा तहसील बीदासर जिला चूरू मे वादीनी एवं प्रतिवादीगण सं. 02 ता 04 के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे संयुक्त खातेदारी मे चली आ रही है ओर वादीनी की 13909/15977 हिस्सा भूमि है। संयुक्त खातेदारी के रहते हुए वादीनी को सरकारी लाभ आदि नही मिलता है वादीनी व प्रतिवादीगण का रहन सहन खान पान अलग अलग है ओर सीमाओ को लेकर कई बार प्रतिवादीगण तनाजा करते है वादीनी अपने हिस्सा पांती की भूमि की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड मे अलग से दर्ज करवाने की अधिकारीनी है। वादीनी ने अपने खातेदारी भूमि मेसे प्रतिवादीगण सं. 02 ता 04 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र भूमि विक्रय की थी ओर उक्त विकित भूमि के पश्चिमी तरफ रास्ता आवागमन के लिए रखा गया था ओर

लगातार..........2

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

उक्त रास्ता वादीनी ने राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज कराने के लिए रास्ते की भूमि को समर्पण किया था ओर समपर्ण के राजस्व रिकॉर्ड मे खसरा नं. 121/115 तादादी 0.3354 है0 भूमि राजस्व रिकॉर्ड मे गैर मुमकिन रास्ता के लिए दर्ज कर दी गई थी राजस्व कर्मचारियो ने भूलवंश नक्शा ट्रेश मे रास्ता की तरमिम वर्तमान स्थिति से भिन्न जगह तरमिम कर दी गई उक्त नक्शा ट्रेश मे गलत तरमिम को दुरूस्त करवाने का वादीन को कानूनी अधिकारी है ओर अशुद्व तरमिम को शुद्व किया जाना कानून आवश्यक है वादीनी ने दिनांक 20/01/2025 को संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन करवाने व राजस्व रिकॉर्ड के नक्शा ट्रेश मे गलत व अशुद्व तरमिम को दुरूस्त करवाने के लिए प्रतिवादीगण को निवेदन किया तो उन्होने इंकार कर दिया जिस पर वादिनी ने यह वाद पत्र पेश किया।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया जिस पर प्रतिवादीगण सं. 02 ता 04 ने न्यायालय मे उपस्थित होकर दिनांक 03/02/2025 को राजीनामा मय नजरी नक्शा पेश किया उक्त राजीनामा न्यायालय द्वारा तस्दीक किया गया व प्रतिवादी सं. 01 ने जबाब दावा पेश किया ओर जबाब मे राजहित नही होना अंकित किया। पत्रावली बहस के लिए नियत की गई।

बहस सुनी गई पत्रावली का ध्यान पूर्वक सुक्ष्मता से अवलोकन किया गया ओर वादीनी के अधिवक्ता ने वाद पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि वादीनी व प्रतिवादीगण सं. 02 ता 04 का राजीनामा न्यायालय मे पेश किया जा चूका है ओर उक्त राजीनामा न्यायालय द्वारा तस्दीक किया जा चूका है वादीनी व प्रतिवादीगण सं. 02 ता 04 अपने अपने कब्जा काश्त के मुताबिक राजीनामा के संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार वादगत भूमि का विभाजन करवाने के लिए सहमत है और नक्शा ट्रेश मे रास्ता की जो तरमिम अशुद्व की गई है उसे वादीनी व प्रतिवादीगण दुरूस्त करवाने के लिए सहमत है वादीनी का दावा मुताबिक राजीनामा मय नजरी नक्शा के डिकी किया जावे हमने पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात व राजीनामा का अवलोकन किया यह तथ्य स्वीकृत है कि पत्रावली पर वादीनी व प्रतिवादीगण सं. 02 ता 04 की ओर से दिनांक 03/02/2025 को राजीनामा पेश किया जा चूका है ओर न्यायालय द्वारा तस्दीक किया जा चूका है तथा वादीनी व प्रतिवादीगण को खसरा नं. 121/115 तादादी 0.3354 है0 भूमि का नक्शा ट्रेश मे तरमिम दुरूस्त किये जाने बाबत कोई आपति नही है वादीनी मुताबिक राजीनामा व नजरी नवशा के अनुसार संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन व नक्शा ट्रेश मे उक्त रास्ता को दुरूस्त करवाने की अधिकारीनी है वादीनी का दावा स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाना न्यायोचित है।

लगातार...........3

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

अतः दावा अन्तिम रूप से मुताबिक विभाजन व नजरी नक्शा के डिकी किया जाकर खेत खसरा सं. 122/115 तादादी 1.5977 है0 वाके रोही आईदानपुरा तहसील बीदासर की संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन किया जा कर प्रतिवादी सं. 02 किशोरसिंह के हिस्सा पांती मे खेत खसरा सं. 122/115 मीन तादादी 0.0617 है. उतरी पूर्वी तरफ की व प्रतिवादी सं. 03 डूंगरनाथ के उतरी तरफ की भूमि, प्रतिवादी सं. 03 डूंगरनाथ के हिस्सा पांती मे खेत खसरा सं. 122/115 मीन तादादी 0.0373 है. प्रतिवादी सं. 02 व 04 के चिपती दक्षिणी तरफ की भूमि, प्रतिवादी सं. 04 भगतनाथ के हिस्सा पांती मे खेत खसरा सं. 122/115 मीन तादादी 0.1078 है. प्रतिवादी सं. 02 के चिपती पश्चिमी तरफ व प्रतिवादी सं. 03 डूंगरनाथ के उतरी तरफ की भूमि की खातेदारी अलग से राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है व वादीनी के हिस्सा पांती मे शेष भूमि जगदीश ढाका व रास्ता के पश्चिमी दक्षिणी तरफ खेत खसरा सं. 122/115 मीन तादादी 1.3909 है0 भूमि की खातेदारी अलग से राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा मुताबिक नजरी नक्शा के राजस्व रिकॉर्ड के नक्शा ट्रेश मे खसरा नं. 121/115 तादादी 0.3354 है0 गै0मु0 रास्ता की भूमि की तरमिम प्रतिवादी सं. 03 व 04 के चिपती पश्चिमी तरफ दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त नजरी नक्शा निर्णय व डिकी का भाग रहेगा। प्रतिवादी सं. 01 को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय व डिकी के राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद करे। नक्शा मे तरमिम करे व लगान अलग से कायम करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे तदानुसार पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27-3-25 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर।

अन्तिम डिक्री व इब्तदाई

(ऑर्डर 20 रूप 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बीदासर व इजलास अमीलाल यादव आर.ए.एस.

नूतन जैन   बनाम   राजस्थान सरकार आदि

दावा घोषणात्मक एवं विभाजन

राजस्व वाद संख्या :— 20/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू हाजरी श्री अमरसिंह राठौड, गोवर्धनसिह राठौड़ वकील वास्ते वादी, प्रतिवादी सं. 02 ता 04 मिनजानिब मुदई व राजपैरोकार उपस्थित एव मिनजानिब मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि दावा अन्तिम रूप से मुताबिक विभाजन व नजरी नक्शा के डिकी किया जाकर खेत खसरा सं. 122/115 तादादी 1.5977 है0 वाके रोही आईदानपुरा तहसील बीदासर की संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन किया जा कर प्रतिवादी सं. 02 किशोरसिंह के हिस्सा पांती मे खेत खसरा सं. 122/115 मीन तादादी 0.0617 है. उतरी पूर्वी तरफ की व प्रतिवादी सं. 03 डूंगरनाथ के उतरी तरफ की भूमि, प्रतिवादी सं. 03 डूंगरनाथ के हिस्सा पांती मे खेत खसरा सं. 122/115 मीन तादादी 0.0373 है. प्रतिवादी सं. 02 व 04 के चिपती दक्षिणी तरफ की भूमि, प्रतिवादी सं. 04 भगतनाथ के हिस्सा पांती मे खेत खसरा सं. 122/115 मीन तादादी 0.1078 है. प्रतिवादी सं. 02 के चिपती पश्चिमी तरफ व प्रतिवादी सं. 03 डूंगरनाथ के उतरी तरफ की भूमि की खातेदारी अलग से राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है व वादीनी के हिस्सा पांती मे शेष भूमि जगदीश ढाका व रास्ता के पश्चिमी दक्षिणी तरफ खेत खसरा सं. 122/115 मीन तादादी 1.3909 है0 भूमि की खातेदारी अलग से राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा मुताबिक नजरी नक्शा के राजस्व रिकॉर्ड के नक्शा ट्रेश मे खसरा नं. 121/115 तादादी 0.3354 है0 गै0मु0 रास्ता की भूमि की तरमिम प्रतिवादी सं. 03 व 04 के चिपती पश्चिमी तरफ दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त नजरी नक्शा निर्णय व डिकी का भाग रहेगा। प्रतिवादी सं. 01 को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय व डिकी के राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद करे। नक्शा मे तरमिम करे व लगान अलग से कायम करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

....मुबलिग..बाबत..................................

...इस मुकदमें के मय सुद व शरह ....

...सदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक ....

...........को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27-3-25

दस्तखत.............................

उपखण्ड अधिकारी

ओहदा.......(बांदार, चूरू)........

मुद्दई	रूपया	पै०	मुद्दायलाई	रूपये	पै०
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोटः खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी

बांदार, (चूरू)